

कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

दिनांक / मान्यता / ७४८३-४५

/ 2019-20

दिनांक ०३-०२-२०२०

प्रबन्धक,
नीलगिरी हिल्स पब्लिक स्कूल,
एफ-०१ सैकटर-५० नोएडा,
जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषय - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2010 के नियम 15 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया

आपके आवेदन दिनांक 12.09.2019 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश एवं शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018, बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 के प्राविधानों के क्रम में जनपदीय मान्यता समिति, की दैरक दिनांक 06.01.2020 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में मैं उपरोक्त विद्यालय को नवीन शैक्षिक सत्र 2020-2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक स्तर (कक्षा 01 से कक्षा 05 तक) की कक्षाओं के सचालन हेतु अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सम्मुच्छा देता हूँ।


उपरोक्त निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 05 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई वाप्ती विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाध्य 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाध्य 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथारिति नसरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर दर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. दरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दैक्षण्य रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी रक्कीनिंग प्रक्रिया की अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सदूस न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा -
 - (i) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में कोल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्डण या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई ढोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकृति किये गये इनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।




Principal

Nilgiri Hills Public School
F-01, Sector - 50, Noida




MANAGER CUM SECRETARY
NILGIRI HILLS PUBLIC SCHOOL
F-01, SECTOR-50, NOIDA 201303

- (xv) दी-प्राइमरी से कक्षा-5 तक के शिक्षण के लिए ७०प्र० नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा-८ के प्रत्यर-१५ में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अहंतारारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी व्याख्या जायेगा कि उच्च प्राधिक विद्यालय कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।
- (xvi) विद्यालय में जावश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति वी जानी आवश्यक है। चौकीदार आदा एवं लकड़ई कर्मचारी की अंशकालिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणेतर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णांकित होना आवश्यक है।
- (xvii) विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रसरुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल, रस्ताईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेशन, पैच्युटी, बीमा, पी०एफ० तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। प्रबन्धाधिकरण के समक्ष अधिकारी एवं दिव्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों (प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणेतर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के मध्य विधि मान्य सेवा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला बोरिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा।
- (xviii) शुल्क मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जाएगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान बहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से दिव्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मर्दों में शुल्क लिया जा सकता है:-
- 1-शिक्षण शुल्क, 2-महंगाई शुल्क 3-विकास शुल्क 4-विजली पानी आदि, 5-पुस्तकालय एवं दाचनालय, 6-दिज्ञान शुल्क, 7- श्रव्य शुल्क, 8-कीड़ा शुल्क, 9-परीक्षा / मूल्यांकन, 10-विद्यालय समारोह / उत्सव, 11-विशेष विषयों की शिक्षा-कन्प्यूटर / संगीत आदि।
- (xix) विद्यालय किसी भी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
- (xx) मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेरिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न लो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
- (xxi) सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय नीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।
- (xxii) मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा शपथ पत्र दिया जायेगा कि वह समय-समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करेगा।
- (xxiii) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
- (xxiv) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनीतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।
- (xxv) बेरिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षण प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनाएं निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xxvi) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा -12(1)री के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने का शपथ पत्र दिया जायेगा।
- (xxvii) जिला बोरिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संख्या द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग (सेवकाल) न खोला जायेगा और न ही दब्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही रस्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय घलाने की अनुमति नहीं होगी।


Principal
Nilgiri Hills Public School
F-01, Sector - 50, Noida


MANAGER CUM SECRETARY
NILGIRI HILLS PUBLIC SCHOOL
F-01, SECTOR-50, NOIDA 201303

कार्यालय: जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

प्रधान/मान्यता/९०५३-६१

/2019-20

दिनांक ३०-३-२०२०

प्रधानाधिकारी
नीलगिरी हिल्स पब्लिक स्कूल,
एफ-०१ सैवटर-५० नोएडा
जनपद गौतमबुद्धनगर।


विषय- निश्चल और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा १८ के प्रयोजन के लिए निश्चल और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2010 के नियम १५ के उपनियम (४) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।


महादेव/महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 12.09.2019 और इस सन्दर्भ में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्रादार/निरीक्षण के प्रतिनिवेदन एवं शासनादेश संख्या ८९ /अरसठ -३-२०१८-२०४१ /२०१८, वेसिक शिक्षा अनुभाग -३ लखनऊ, दिनांक ११ अक्टूबर 2019 के प्राविधानों के क्रम में मण्डलीय मान्यता समिति, की बैठक दिनांक 16.03.2020 में लिये गये नियम के अनुपालन में मैं उपरोक्त विद्यालय को नवीन शैक्षिक सत्र 2020-2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए उच्च प्राथमिक रूप (कक्षा ६ से -कक्षा ८ तक) की कक्षाओं के संचालन हेतु अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सरूचना देता हूँ।


उपरोक्त मञ्जूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

१. मान्यता की मञ्जूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ०८ के पश्चात मान्यता/संवधान करने के लिए कोई दायता विवक्षित नहीं है।
२. विद्यालय निश्चल और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपादन्ध १) और निश्चल और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपादन्ध २) के उपबन्धों का पालन करेगा।
३. विद्यालय कक्षा ६ में (या यथास्थिति ०८ कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निश्चल और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
४. पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपादारा (२) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
५. शोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक की किसी रक्खीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
६. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा -
 - (i) द्वेष दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फौल नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या नानसिंक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रभाल या द्रव्यानुप्रदान किया जायेगा।
- (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निश्चलता शुल्क/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को द्वारा, दिया जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३(१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जायेगी। यहाँ यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं तो उन की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करें।


Principal
Nilgiri Hills Public School
F-01, Sector-50, Noida


MANAGER CUM SECRETARY
NILGIRI HILLS PUBLIC SCHOOL
F-01, SECTOR-50, NOIDA 201303

- (८) विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रत्युत की जायेगी, जिसमें निम्नकिए
- १० का प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में समिधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पैशान यौवृत्ती, दीमा, पी०एफ० तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है; प्रबन्धाधिकरण के समक्ष अधिकारी एवं विद्यालय के सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों (प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणेत्र कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के मध्य विधि मान्य सेवा अनुदान विष्यादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताकरित कराना होगा।
१८. शुल्क मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क ल्योकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसको अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के २० प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन दर्घ तक नहीं की जायेगी। शुल्क ने जब वृद्धि की जायेगी वह १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मद्दों में शुल्क लिया जा सकता है-
- १-शिक्षण शुल्क, २-महंगाई शुल्क ३-विकास शुल्क ४-विजली पानी आदि, ५- पुस्तकालय एवं बाचनालय, ६-विज्ञान शुल्क, ७- अन्य शुल्क, ८-कीड़ा शुल्क, ९-परीक्षा/मूल्यांकन, १०- विद्यालय समारोह/उत्सव, ११-विशेष विषयों की शिक्षा-कम्प्यूटर/सर्गीत आदि।
१९. विद्यालय किसी भी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
२०. मान्यता प्राप्त विद्यालय में वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से मिन्न वाठ्यक्रम में न हो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
२१. सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।
२२. मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धतत्र द्वारा शपथ पत्र दिया जायेगा कि वह समय-समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा भार्गदशी सिद्धान्तों का पालन करेगा।
२३. विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आंदोलन हेतु छूट रहेंगी।
२४. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।
२५. वैसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनाएं निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निवेदों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
२६. विद्यालय प्रबन्धतत्र द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९ की धारा -१२(१)सी के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने का शपथ पत्र दिया जायेगा।
२७. जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग (सेक्शन) न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय जो शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।
२८. विद्यालय प्रबन्धतत्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस०सी०इ०आर०टी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
२९. शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मान्यता से सम्बन्धित समस्त अद्यतन शासनादेश/विभागीय आदेश प्रभावी माने जायेंगे।
३०. एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर०टी०इ० के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को नियमानुसार रथायी मान्यता प्रदान की जायेगी। निरीक्षण कराने का दायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा।


 Principal
 Nilgiri Hills Public School
 F - 01, Sector - 50, Noida


 Manager Cum Secretary
 NILGIRI HILLS PUBLIC SCHOOL
 F-01, SECTOR-50, NOIDA 201303